13/11/19 उभय पक्ष उप. वकील प्रति.-1 ने जवाब प्रार्थनापत्र 022 R3(1) CPC का प्रस्तुत किया। शा. 26 वादी वास्ते वस्ल प्रार्थना पत्रावली दिनांक 09/12/19 को पेश हो।

09.12.19 उभय पक्ष अ.। वकील प्रार्थी ने दिनांक प्रार्थना पत्र 022R3(1) CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता वादी हनुमान सिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.1.19 को हो गया है। उक्त हेतु प्रमाण-पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 5 लिमिटेशन अधिनियम के प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में देरी नहीं की गई है। प्रार्थी कानूनविज्ञ है। नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण प्रार्थनापत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.8.19 को पत्रावली हल्का के पास आने पर उक्त वाद का पता चला। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र 022R3(1) CPC अंतर्गत लिमिटेशन अधिनियम प्रार्थना स्वीकार वादी हनुमान सिंह के वारिसान को बनाया जावें।

वकील अपीलार्थी के बयान की वादी हनुमान सिंह की हत्या दिनांक 31.1.19 को हो गई। अपील वादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से वाद पत्र स्वतः ही उपशमन (Abatement) हो गया है। यह प्रार्थनापत्र वादी हल्के के लगभग 07 माह बाद पेश किया है। अतः वाद पत्र स्वतः ही उपशमन की परिभाषा में आता है। वाद की हत्या 31.1.19 से 90 दिवस के भीतर जायज वारिसान का प्रार्थनापत्र जानकारी प्राप्त होने के बाद भी प्रस्तुत न करने वाद पत्र का उपशमन हो गया है। प्रार्थी प्रतिवादी नं. 1 ओमप्रकाश का कहना है इसे मुझे से ही उक्त प्रकरण की जानकारी मिली। प्रार्थना में इन्होंने बताया है कि उन्हें उक्त प्रकरण की सूचना पत्रावली हल्का से प्राप्त हुई है किन्तु उन्होंने इस संबंध में कोई-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ. हुक्म मे.

शपथ पत्र पटवारी हल्का का प्रस्तुत नहीं किया है। यह कि विधवा कमल कलके उम्र 21 वर्ष अंदर जिलाद खुर्द कलां चाहते हैं। प्रार्थी प्रार्थना जिलाद का लाभ 3(1) के अधिकारी नहीं है। इन्होंने अपने प्रार्थना में अंकित किया है कि वह पाद ला सकते हैं। इसलिये यह पाद अशक्त होने के चलते मोजूद नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 022R3(1) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट युद्ध से पार्टी की हत्या का शिकार होने के व बुढ़ापा दोनों पक्षों के शपथ पत्र पेश नहीं करने के कानूनी प्रावधानों के अनुसार निरस्त किया जावें। कानूनी नजीर RRO 2010 - पेज-56, RRT 2015 (1) पेज नं. 232 पेश की।

अपील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। पार्टी हनुमानसिंह की हत्या दिनांक 31.1.19 को हो गई थी। पार्टी हनुमानसिंह के पुत्र राजेन्द्र कुमार द्वारा उम्र प्रार्थना दिनांक 14.8.19 को प्रस्तुत किया गया तथा पार्टी के स्थान पर उनके कानूनी वारिसान को बतौर पार्टीशन करार कराने का निवेदन किया। जबकि पाद पत्र वादी हनुमानसिंह के देहांत दिनांक 31.1.19 से 30 दिवस की अवधि यानि 1.3.19 को किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उनके LR's द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण स्वतः ही अबेट हो गया है। अब उनके जानकार द्वारा प्रार्थना दिनांक 14.8.19 को प्रस्तुत किया गया है। जो सी.पी.सी. के प्रावधानों के मुताबिक नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इस पर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर पृथक: चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वतः ही अबेट होने से पर खारिज किया जाता है। संबंध से कर होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली का तालीक तकमील दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.20 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: